न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 82/2019 प्रार्थनापत्र

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956</u>

उनवान

1. श्री अमरचन्द पिता रेवता चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
2. श्री काना पिता रेवता चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
3. श्री काली पुत्री रेवता चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
4. श्री गुलाब देवी पत्नि गोपी लाल चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
5. श्री गोपी लाल पिता रेवता चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
6. सुश्री चम्पा पुत्री हगामा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
7. श्री छोटू पिता गणेश चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
8. सुश्री नोरती पुत्री हगामा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
9. श्री नाबालिग पांचू पिता हगामा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
10. श्री नाबालिग मुकेश पिता हगामा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
11. मुनिया पुत्री मूला चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
12. रूकमणी पत्नि हगामा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
13. ऐजी पत्नि स्व. रूपा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
14. बदाम पुत्री स्व. रूपा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
15. श्री रामस्वरूप पिता स्व. रूपा चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
16. रामू पत्नि मूला चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
17. अमरी पत्नि खाना चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
18. रूकमा पत्नि हगामी लाल चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
19. रसाली पत्नि छोटू चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
20. रसाली पुत्री प्रभु चमार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हरिनाथ पिता किशननाथ निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
2. श्री मदन पिता मांगू खाती निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
3. श्री सांवर लाल पिता छोटू नायक निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
4. श्री जगदीश पिता सुवा नायक निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
5. श्री निर्भय सिंह पिता सुजानसिह राजपूत निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
6. श्री गोपाल पिता मांगू बैरवा निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
7. श्री हाकम खॉ पिता भूरे खा कायमखानी निवासी कायमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
8. श्री गुदड पिता मांगू कीर निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
9. श्री मेवा पिता घोलू बैरवा निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
10. श्री छोटू पिता मांगू कुम्हार निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुल किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण के ग्राम **बागथला पटवार हल्का ईटडिया तहसील फूलियाकलां** मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की **आ0न0 463 रकबा 0.48, आ0न0 464 रकबा 0.33, आ0न0 467 रकबा 0.08, आ0न0 469 रकबा 0.50, आ0न0 469/715 रकबा 0.24, आ0न0 470 रकबा 0.04, आ0न0 471 रकबा 0.40, आ0न0 477 रकबा 0.07, आ0न0 478 रकबा 0.40, आ0न0 478/716 रकबा 0.09, आ0न0 504 रकबा 1.11, आ0न0 505 रकबा 0.50, आ0न0 506 रकबा 0.75, आ0न0 607 रकबा 0.07, आ0न0 629 रकबा 1.26, आ0न0 502 रकबा 0.45, आ0न0 604 रकबा 0.20, आ0न0 605 रकबा 0.62 है0**, का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम आमली बारेठ संवत 2074 से 2077** तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **मौजा बागथला** मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की **आराजीयात किता 18 रकबा 7.59 हैक्टयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस नियमानुसार प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज **दिनांक 28.11.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फुलियाकलां (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner